सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूपी मदरसा अधिनियिम, 2004 को मान्यता

प्रलिमि्स के लयि:

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय शैक्षकि अनुसंधान और प्रशक्षिण परषिद (NCERT), अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, शकि्षा का अधकिार अधनियिम, 2009, अनुच्छेद 21A, अरुणा रॉय बनाम भारत संघ 2002, अनुच्छेद 28, लोकतंत्र, संघवाद, पंथनरिपेक्षता, राज्य वधिानमंडल, समवर्ती सूची, अनुच्छेद 30।

मेन्स के लयि:

पंथनरिपेक्ष लोकतंत्र में अल्पसंख्यक अधकिारों एवं गुणवत्तापूर्ण शकि्षा के बीच संतुलन।

स्रोत: बज़िनेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शकि्षा बोर्ड अधनियिम, 2004 की संवैधानकि वैधता को आंशकि रूप से मान्यता दी तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के वपिरीत दृष्टकिोण रखा, जसिमें इसे असंवैधानकि घोषति कयिा गया था।

- **हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च शकि्षा** (कामलि और फाज़लि) से संबंधति प्रावधानों को **असंवैधानकि घोषति कर दयिा** क्योंकि वे वशि्ववद्यालय अनुदान आयोग अधनियिम (UGC अधनियिम) 1956 के अनुरूप नहीं हैं, जो **सूची 1 की प्रवष्टि 66 द्वारा शासति है।**

सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी मदरसा शकि्षा बोर्ड अधनियिम, 2004 को मान्यता क्यों दी है?

- **संवैधानकि वैधता:** मदरसा अधनियिम, 2004 शकि्षा के मानकों को **प्रभावी ढंग से वनियिमति करने पर केंद्रति है, जो राज्य के दायत्वि के अनुरूप है** ताकि यह सुनशि्चति कयिा जा सके कि समाज में छात्र सक्रयि रूप से भाग लेने के लयि योग्य हो सकें।
- **वधिायी आधार:** सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि मदरसा अधनियिम राज्य वधिानमंडल की वधिायी क्षमता (वशिेष रूप से संवधिान की **समवर्ती सूची के** तहत प्राप्त अधकिार) के अनुरूप है।
- **धार्मकि शकि्षा बनाम धार्मकि नरि्देश:** न्यायालय ने **धार्मकि शकि्षा** और **धार्मकि नरि्देश के बीच अंतर** स्पष्ट कयिा।
    - *[illegible], 2002* में न्यायालय ने सांप्रदायकि सद्भाव को बढ़ावा देने वाली **धार्मकि शकि्षा को स्वीकार्य** बताया जबकि **अनविार्य पूजा** जैसी **धार्मकि शकि्षा अनुच्छेद 28** के तहत राज्य-मान्यता प्राप्त संस्थानों में नषिद्धि है।
- **मूल ढाँचा के प्रतसिंरक्षा: कसिी वधि की संवैधानकि वैधता को** संवधिान के मूल ढाँचे के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती (*[illegible], 1975*)। पंथनरिपेक्षता से संबंधति **संवैधानकि प्रावधानों का उल्लंघन होने पर** वधि को असंवैधानकि घोषति कयिा जाएगा।
    - लोकतंत्र, संघवाद और पंथनरिपेक्षता **जैसी अपरभिाषति अवधारणाओं का** उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने के संदर्भ में न्यायालयों को अधकिार देने से संवैधानकि न्यायनरि्णयन में **अनशि्चतिता** पैदा होती है।
- **राज्य वनियिमन:** न्यायालय ने कहा कि **राज्य सरकार** अधनियिम के तहत नयिम बना सकती है ताकि यह सुनशि्चति कयिा जा सके कि मदरसे **पंथनरिपेक्षता का** उल्लंघन कयि बनिा **धार्मकि शकि्षा** के साथ-साथ **पंथनरिपेक्ष** शकि्षा दे सकें।
- **अल्पसंख्यक अधकिार और गुणवत्तापूर्ण शकि्षा:** राज्य को यह सुनशि्चति करने के लयि **उपयुक्त नरि्देश देने चाहयि** कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्र राज्य द्वारा अन्य संस्थानों में उपलब्ध कराई जाने वाली **गुणवत्तापूर्ण शकि्षा** से वंचति न हों।
- **अल्पसंख्यक अधकिार:** इस अधनियिम को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने भारतीय संवधिान के **अनुच्छेद 30** के तहत **शैक्षणकि संस्थान स्थापति करने के धार्मकि अल्पसंख्यकों** के अधकिार को मज़बूत कयिा है।
- **समावेशतिा पर बल देना: मदरसा के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शकि्षा** प्राप्त हो सके, यह सुनशि्चति करने के लयि न्यायालय का नरि्देश राज्य के **व्यापक शैक्षकि ढाँचे के तहत मदरसा शकि्षा के एकीकरण को महत्त्व देने पर केंद्रति** है।

[illegible], 1975

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार **मूल ढाँचे के सिद्धांत का प्रयोग** ***???? ????????? ??????, 1975* में एक संवैधानिक संशोधन को** रद्द करने के लिये किया था।
- राज नारायण पीठ के न्यायाधीशों ने **साधारण कानून और संविधान संशोधन** के बीच **अंतर किया था।**
    - संवैधानिक संशोधनों का परीक्षण मूल ढाँचे के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, **न कि साधारण कानून का।**
- तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश **ए.एन. रे ने** कहा कि किसी कानून की वैधता के परीक्षण के लिये मूल ढाँचे के सिद्धांत को लागू करना "**संविधान को फिर से लिखने**" के समान होगा।
    - अन्य न्यायाधीशों ने पाया कि मूल ढाँचा की अवधारणा "**अत्यंत अस्पष्ट और अनिश्चित है,** जिससे किसी साधारण कानून की वैधता निर्धारित करने का कोई पैमाना नहीं बनता है।
- न्यायालय ने कहा था कि संविधान संशोधन और सामान्य कानून **अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं** और यह **अलग-अलग सीमाओं** के अधीन हैं।
- **नोट:** न्यायालय ने इस बात पर बल देते हुए, कि अल्पसंख्यकों को संविधान के **अनुच्छेद 30 के तहत** धार्मिक या पंथनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने के लिये **शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का मौलिक अधिकार है, कहा कि यह अधिकार "पूर्ण नहीं" है।**

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 क्या है?

- **परिचय:** इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में **मदरसा शिक्षा को विनियमित करने के साथ औपचारिक** बनाना है।
    - इससे यह सुनिश्चित हुआ कि मदरसे निर्धारित **शैक्षिक मानकों और मानदंडों** के अंतर्गत संचालित हों।
- **मदरसा शिक्षा**: इसका उद्देश्य [राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)](#) द्वारा निर्धारित **पंथनिरपेक्ष पाठ्यक्रम** के साथ-साथ **धार्मिक शिक्षा को एकीकृत करना था** तथा औपचारिक शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ मिश्रित करना था।
- **मदरसा शिक्षा बोर्ड: इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड** का गठन किया गया, जिसे राज्य में मदरसा शिक्षा की **देखरेख एवं विनियमन** का कार्य सौंपा गया।
- **परीक्षा**: इसमें मदरसा के छात्रों के लिये **परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, जिसमें 'मौलवी' स्तर** (कक्षा 10 के समकक्ष) से लेकर **'फाज़िल' स्तर** तक के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक क्यों घोषित किया?

- **पंथ निरपेक्षता**: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया कि **मदरसा अधिनियम, 2004** सभी स्तरों पर **इस्लामी शिक्षा को अनिवार्य** बनाकर पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन करता है, जबकि **आधुनिक विषयों को** वैकल्पिक **या** अनुपस्थित **रखा गया है।**
    - सरकार को **पंथ निरपेक्ष शिक्षा की अवधारणा को अपनाना चाहिये** तथा आधुनिक शिक्षा पर **धर्म-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिये।**
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)**: इस अधिनियम ने **अनुच्छेद 21A** का उल्लंघन किया, जो **6 से 14 वर्ष** की आयु के बच्चों के लिये **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।** न्यायालय ने इस दावे को असंवैधानिक घोषित कर दिया है कि नाममात्र शुल्क के साथ **पारंपरिक शिक्षा संवैधानिक दायित्वों को पूरा करती है।**
    - यह अधिनियम मदरसा और मुख्यधारा के स्कूली छात्रों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर **अनुच्छेद 14** का उल्लंघन करता है।
    - यह अधिनियम मदरसा छात्रों के लिये पृथक एवं असमान शिक्षा प्रणाली स्थापित करके **अनुच्छेद 15** का उल्लंघन करता है।
- **केंद्रीय कानून के साथ असंगत**: न्यायालय ने पाया कि **मदरसा अधिनियम, 2004 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (UGC अधिनियम)** के साथ असंगत है।
    - केवल UGC अधिनियम, 1956 के तहत **विश्वविद्यालयों** या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थाओं को ही डिग्री प्रदान करने का अधिकार है।

धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- **अनुच्छेद 25:** यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की **अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है।**
- **अनुच्छेद 26: यह धार्मिक मामलों के** प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है।
- **अनुच्छेद 27: यह** किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार हेतु **करों के भुगतान की** स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 28: यह** कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में **धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा** में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता देता है।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के क्या निहितार्थ हैं?

- **शिक्षा मानकों का विनियमन:** गुणवत्ता बनाए रखने के लिये शिक्षा मानकों को निर्धारित करने में राज्य की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

- **अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण:** यह **विधेयक** धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकारों की पुष्टि करता है, बशर्ते वे शैक्षिक मानकों का पालन करता हो।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** संविधान के **अनुच्छेद 21A** के अनुसार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य के दायित्व को सुदृढ़ करता है।
- **समावेशिता:** व्यापक शैक्षिक ढाँचे में मदरसों के एकीकरण का समर्थन करता है।

निष्कर्ष:

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को बरकरार रखने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **धार्मिक शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष मानकों** के बीच संतुलन पर जोर देता है। अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि करते हुए, यह **शिक्षा को विनियमित करने के लिये राज्य के अधिकार को मज़बूत करता है।** यह निर्णय देश भर में धार्मिक शिक्षा के विनियमन को प्रभावित कर सकता है, जिससे समावेशिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकती है।

[illegible]:

प्रश्न: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थों का, विशेष रूप से अल्पसंख्यक अधिकारों और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी के संबंध में, परीक्षण कीजिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

[illegible]:

प्रश्न: 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

(a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(c) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
(d) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (b)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. भारत का संविधान अपने 'मूल ढाँचे' को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है।
2. भारत का संविधान, नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है,की सुरक्षा हेतु 'न्यायिक पुनरवलोकन' की व्यवस्था करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (d)

[illegible]

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? (2019)

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षतावाद की भारतीय संकल्पना, धर्मनिरपेक्षतावाद के पाश्चात्य मॉडल से किन-किन बातों में भिन्न है? चर्चा कीजिये। (2018)

प्रश्न: स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-upholds-up-madarsa-act-2004